

कुशाभाउ ठाकरे तरणताल (स्वीमिंग पुल) 14 अप्रैल से होगा प्रारंभ

रतलाम 10 अप्रैल । सिविक सेंटर स्थित कुशाभाउ ठाकरे तरणताल विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 14 अप्रैल से तैराकी हेतु नागरिकां के लिये प्रारंभ किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि जो कि सिविक सेंटर स्थित कुशाभाउ ठाकरे तरणताल कोरोना के चलते बंद किया गया था। विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार तरणताल प्रारंभ किये जाने हेतु तैयारियां पूर्ण की जा रही है। 14 अप्रैल से तरणताल (स्वीमिंग पुल) सीमित मात्रा में नागरिकों को सायं 6 से 10 बजे तक निर्धारित शुल्क पर प्रवेश दिया जायेगा।

सर्वाधिक कचरा संग्रहण करने वाले सफाई मित्रों का हुआ सम्मान 10 अप्रैल रविवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 246 ट्रीप 97 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम हर वो प्रयास कर रहा है जिसस की रतलाम शहर स्वच्छता की दौड़ में नम्बर -1 आकर देश में अपना नाम रोशन कर सके। शहर को सम्पूर्ण रूप से कचरा मुक्त करने के लिए कचरा संग्रहण वाहन हर दिन प्रत्येक वार्ड में पांच से सात फेरे लगा रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 11 के कचरा संग्रहण वाहन ने रिकार्ड सात फेरे लगाए। इनके इस प्रयास पर कचरा संग्रहण वाहन चालक और हेल्पर का सम्मान किया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहा कि नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी शहर की स्वच्छता को लेकर गंभीर है। स्वच्छता से जुड़े हर कार्य की प्रत्येक दिवस समीक्षा की जा रही है और होने वाली भूलों के सुधार के प्रयास निरन्तर जारी है। स्वच्छता को लेकर सजग और सर्तक निगमकर्मि निरन्तर सम्मानित हो रहे और जो तनिक मात्र भी चूक करते है वो दण्ड के भागीदार होते है।

उन्होंने कहा कि हमारे रतलाम शहर का नाम स्वच्छता की दौड़ में अब्वल रहे। इसके लिए बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड क्रमांक 11 (डोगरे नगर) से सर्वाधिक कचरा संग्रहण करने वाले कचरा वाहन चालक श्री सुनील मांगीलाल व वाहन के हेल्पर श्री तूफान बाबूलाल का तिलक निकाल कर स्वागत किया गया। इन्हे फूलमाला व श्रीफल भेंट कर बेहतर कार्य के लिए प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर झोन प्रभारी श्री किरण चौहान सहित झोन के सफाईमित्र, जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित रहे।

श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से आह्वान किया है कि स्वच्छता में सभी की भागोदारी हो। अपने घरों व दुकानों का कचरा सडक, नाले व नालियों में नही फेकते हुए। गीला और सूखा कचरा वाहन में भी डाले। अगर नागरिक शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र में शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने की ठान लगे तो वो दिन दूर नही जब रतलाम सेव, साड़ी और सोने के साथ ही देश में सफाई के लिए भी नई पहचान बना लेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 10 अप्रैल रविवार को 97 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

10 अप्रैल रविवार को डम्पर से 18155 किलो, ट्रेक्टर से 8465 किलो, मैजिक सूखा कचरा 44145 किलो, मैजिक गीला कचरा 2485 किलो, सेनेटरी वेस्ट 3 किलो व हानिकारक कचरा 402इस तरह कुल 97257.2 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 10 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अप्रैल रविवार को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विनोद डांगी पर 2500, सपना-प्रदीप कटारिया पर 2000, बालाजी डिस्पोजल पर 1000, शिवनारायण तिवारी व मोहित पर 300-300, मनीष, आशा स्वीट्स पर 250-250, मनीष जोशी, खुशी चाट सेन्टर व देवेन्द्रसिंह चौधरी पर 200-200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

बिना सूचना के अनुपस्थित 5 ड्रायवर व 6 हैल्पर का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 10 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक विशाल, विकास, राजेश वर्मा, कैलाश परमार, रूपेश चावरे, हैल्पर लखन चावरे, विक्की-दिनेश, सुनील, संदीप, जितेन्द्र व मुकेश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

22 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 10 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे

सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 16 व दोपहर में 6 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

10 अप्रैल रविवार को झोन क्रमांक 1 में सुनील-सोहनलाल, शांतिबाई-सुरेश, लखन-रविन्द्र, बादल-दिलीप, अजय-विनोद, विक्की-दिलेश, झोन क्रमांक 2 में मंजूबाई पति राधाकिशन, नानालाल-रमेश, संगीताबाई पति हरिश, सुगनाबाई पति शंकर, रवि-सुरेश, मनोज-भाईजीभाई, संतोष-प्रहलाद, झोन क्रमांक 3 में महेश-रमेश, संजय-हीरालाल, झोन क्रमांक 4 में मनीष-मुकेश, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में दयाराम-मुंशी, वर्षाबाई पति पवन, शीलाबाई-अब्जी, शकुन्तलाबाई पति रामचन्द्र, सोनदीप-सुदेश व पुष्पाबाई पति गोपाल इस तरह 22 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 10 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ-स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमें सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 10 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 10 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356

के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व ज्ञोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित ज्ञोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने

निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/10.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.